

है वकील प्रतिवादी न वादी का हस्त  
ले वकील वादी को अवगत करवाया। पत्रावली  
वास्ते जवाब प्रतिवादी ले. 1, 6 के लिए डिनेर  
4-1-2021 को पेश हो।

4-1-21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित  
नहीं है। वकील वादी एवं वादी को न्यायालय  
से 3 बार आवाजें लगवायी गई। इसके  
बाद बार-बार आवाजें लगवायीं गई। लेकिन  
वकील वादी एवं वादी उपस्थित नहीं हुए। अतः  
पत्रावली अदम हाजरी अदम पेशी में  
खारिज की जाती है। निर्णय चुनाया गया।  
पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर  
है।

सहायक अधिकारी

मेरठ (मुन्शी)

